



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी सुभाष को हुई 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सुभाष पुत्र पन्ना लाल निवासी मौहल्ला कुरैशियान कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 500/2014 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 27.08.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सुभाष को 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना छपरौली

दिनांक 27.08.24

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 216/24 धारा 191(2)/109/115(2)/352/353(3)/324(4)/132/121(1) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.08.24 को थाना छपरौली पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम ककौर में दो पक्षों में किसी बात को लेकर झगडा-मारपीट हो रही है। सूचना पर थाना छपरौली पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मारपीट करने वाले 02 अभियुक्तों



को गिरफ्तार किया गया तथा घायलों को ईलाज हेतु सीएचसी छपरौली लेकर गये जहां पर डॉक्टरी के दौरान दोनो पक्षो द्वारा गाली-गलौच करते हुए सरकारी कार्य मे बांधा उत्पन्न की गई व तोड फोड की गई । इस सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 216/24 धारा 191(2)/109/115(2)/352/353(3)/ 324(4)/132/121(1) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-


बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 216/24 धारा 191(2)/109/115(2)/352/353(3)/324(4)/132/121(1) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-दीपक पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम ककौर थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-मन्नू पुत्र बलबीर निवासी ग्राम ककौर थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री गवेन्द्रपाल सिंह थाना छपरौली ।
- 2-उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना छपरौली ।
- 3-उ0नि0 श्री रामअवतार सिंह थाना छपरौली ।
- 4-का0 1006 नरसिंह थाना छपरौली ।
- 5-का0 289 सुधीर कुमार थाना छपरौली ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 27.08.24

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 215/24 धारा
333/352/115(2)/109/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया
गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.08.24 को थाना छपरौली पर वादिया ने सूचना दी कि अभियुक्त गण 1- दीपक पुत्र सुरेशपाल व 2- सोनू निवासीगण पट्टी धनधान कस्बा व थाना छपरौली द्वारा वादिया के घर में घूसकर वादिया व वादिया के पति विक्रान्त के साथ गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से हमला कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 215/24 धारा 333/352/115(2)/ 109/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 215/24 धारा 333/352/115(2)/ 109/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त दीपक को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दीपक पुत्र सुरेशपाल निवासी पट्टी धनधान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री अमित कुमार थाना छपरौली ।
- 2-का० 976 लवकुश थाना छपरौली ।
- 3-का० 511 धर्मेन्द्र कुमार थाना छपरौली ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 27.08.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 188/2024 धारा
363/354बी/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया
गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 188/2024 धारा 363/354बी/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त दानिश को गिरफ्तार किया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दानिश पुत्र युनुस निवासी ग्राम अहमदशाहपुर पदड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-उ0नि0 श्री निकलेश रस्तौगी थाना बागपत जनपद बागपता

2-का0 1038 अरविन्द कुमार थाना बागपत जनपद बागपता



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक 27.08.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 478/2024 धारा 147/148/149/504/307 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 27.05.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्रवण कुमार पुत्र श्री भगवान निवासी ग्राम खेडकी थाना बागपत जनपद बागपत ने एक प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्तगण 1- आकाश नैन उर्फ गड्डू पुत्र सतेन्द्र, 2- अर्जुन नैन पुत्र सतेन्द्र, 3- आशीश पहलवान निवासीगण ग्राम सरुरपुर कलां थाना बागपत जनपद बागपत, 4- सुनील पाशा निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत, 5- आकाश निवासी ग्राम बाघू थाना बागपत जनपद बागपत व 8- 10 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर



तमंचे व पिस्टल से लैस होकर आवेदक के पुत्र निशान्त व उसके साथी आकाश पुत्र हरिओम निवासी कस्बा टटीरी थाना बागपत जनपद बागपत व गौरव निवासी लधवाडी थाना बागपत जनपद बागपत के साथ गाली- गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से फायर किया जिससे आवेदक का पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 478/24 धारा 147/504/307 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 478/24 धारा 147/149/504/307 भादवि में वांछित प्रकाश में आये 01 अभियुक्त सलमान को गिरफ्तार किया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सलमान पुत्र हाकिम उर्फ हाकम अली निवासी ग्राम लधवाडी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-उ0नि0 श्री निकलेश रस्तौगी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-का0 1038 अरविन्द कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

